संख्या-54/2018/क0नि0-4-1060/11-2018-2(3)/93

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 17 अक्टूबर, 2018**

विषयः- वाणिज्य कर कार्यालय भवन, हापुड़ का किराया नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति/किराया अनुभाग-भ0प0-हापुड़(110)/2018-19/156/वाणिज्य कर, दिनांक 06.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर कार्यालय, हापुड़ हेतु श्री समीर कुमार, रेवतीकुन्ज, हापुड़ के भवन में उपलब्ध 5832.59 वर्गफुट कारपेट एरिया का दिनांक 01.11.2017 से आगामी 05 वर्ष तक अथवा भवन रिक्त किए जाने की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि हेतु रु0-06.75 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया की दर से कुल रु0-39,369.98 (उन्तालीस हजार तीन सौ उन्हत्तर रुपया अट्ठानवे पैसे मात्र) प्रतिमाह के हिसाब से किराया नवीनीकरण किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अंतर्गत मद संख्या-17 किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होंगे।

4- उक्त किराया अनुबन्ध विलेख विभाग के सक्षम प्राधिकारी एवं भवन स्वामी के मध्य निर्धारित प्रारूप पर निष्पादित किया जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-54/2018/क0नि0-4-1060(1)/11-2018, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, हापुड़।
3. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हापुड़।
5. श्री समीर कुमार पुत्र श्री राजकृपाल, निवासी-रेवतीकुन्ज, रेलवे रोड, हापुड़।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. गार्डबुक।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।